


364

240

निग 2818/II/15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर ॥ रीवा कैम्प ॥ रीवा ॥ ००१०० ॥



Rs. 20/-

सुमन पटेल तनय श्री हृदय लाल पटेल उम्र 45 साल पेशा खेती निवासी इन्द्रा नगर तहसील हजूर जिला रीवा ॥ ००१०० ॥ -----निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीमती फूलमती गुप्ता पत्नी मनशरण गुप्ता निवासी ग्राम कोष्ठा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा ॥ ००१०० ॥ -----गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेशा दिनांक 13-4-15 जो आराजी खसरा क्रमांक 1152/3 रकवा 0.011 है 0 स्थित ग्राम कोष्ठा के नक्शा तस्मीम के आवेदन में तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 9अ2/2014-15 में पारित किया गया ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 ००१० ॥ ०० राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी निम्न अधारो पर प्रस्तुत है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेशा प्रथमद्वारि रूप से विधि के मान्य सिद्धान्तो के विपरीत हुआ जाकर पारित किया गया है जो निरस्तगो योग्य है ।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदिका/गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी भूमि 1152/3 रकवा 0.011 है 0 स्थित ग्राम कोष्ठा तहसील रायपुर कर्चुलियान एवं आवेदक/निगरानीकर्ता सुमन पटेल ने में भूमि क्र मांक

(Signature)

श्री. प्र. ल. अग्रवाल द्वारा आज दिनांक 10.7.15 प्रस्तुत किया गया।
सिस्टीम ऑफ रीवा

252
10.7.15

परकारों एवं आ
ऑटि के हस्ता

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R2818-115

जिला रीवा

सुमन पटेल विरुद्ध श्रीमती. पू. लक्ष्मी कुमारी

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. श. सु. ह. तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार तहसील. रा. प्र. 13-4-15 के प्रकरण क्रमांक 9/22/14/15 में पारित आदेश दिनांक 13-4-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	कचुं

सदस्य